छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

पेंशन बाड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष 0771– 3057007, फैक्स – 0771–2429385

क्रमांक / 885 / वित्त / 2022 रायपुर, दिनांक 13 / 01 / 2022

प्रति,

समस्त प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाए
छ0ग0

वित्त संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

विषय :– प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2022 के संचालन हेतु प्राप्त अग्रिम राशि व्यय / वापसी संबंधी।

संदर्भ :– 1) कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2491 / गोपनीय / 2021 रायपुर दिनांक 03.12.2021
2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 3019 / गोपनीय / 2022 रायपुर दिनांक 07.01.2022

– – 0 0 0 – –

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा वर्ष 2022 का संचालन दिनांक 10.01.2022 से प्रारंभ हो चुकी है। उक्त परीक्षा के संचालन हेतु संदर्भित पत्र (1) जारी किया गया था, किंतु वर्तमान में कोविड 19 महामारी को मद्देनजर रखते हुये संशोधित निर्देश पत्र (2) द्वारा बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है

अत: उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि –

1. आपकी संस्था हेतु प्रायोगिक व्यय के रूप में प्रदाय हेतु जारी अग्रिम राशि के चेक में बाह्य परीक्षक की पारिश्रमिक राशि एवं दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता की राशि भी सम्मिलित है।

2. उक्त एकजाई राशि की विस्तृत जानकारी पत्रक मण्डल वेबसाईट में संस्थाओं के निजी लॉगईन पोर्टल आई0डी0 पर उपलब्ध है।

3. व्यय विवरण पत्रक डाउनलोड करने के उपरांत पत्रक अनुसार केवल आंतरिक परीक्षक को पारिश्रमिक राशि का भुगतान करना है। एवं बाह्य परीक्षक की पारिश्रमिक राशि एवं डी0ए0 तथा टी0ए0 राशि मण्डल कार्यालय में वापस किया जाना है।

4. राशि वापसी हेतु सुविधाजन्य – सचिव, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नाम से संचालित खाता क्रमांक 37138844377, एस0बी0आई0, शास्त्री बाजार, रायपुर, IFSC–SBIN0009511 **या** खाता क्रमांक 50100116261375, एच0डी0एफ0सी0 बैंक, पचपेड़ी नाका, रायपुर IFSC–HDFC0001280 में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 अथवा बैंक डी0डी0 आदि माध्यमो से वापस किया जाना है।

5. परीक्षा समाप्ति उपरांत अग्रिम राशि समायोजन प्रस्तुत करने हेतु एकाउंट लेजर मण्डल वेबसाईट के मुख्य सूचना पटल पोर्टल में उपलब्ध है। जिसे पूर्णतया भरकर मूल देयको सहित वापस की गई राशि की मूल पावती संलग्न कर मण्डल मुख्यालय / संभागीय कार्यालयो में जमा करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिचित करे।

(सचिव महोदय की आज्ञा से)

वित्त अधिकारी
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर